न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/120/2025	24.07.2025	08.04.2026

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिवाडी जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रार्थी

बनाम

1. मै0 श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज शॉप न0 4 आशियाना आंगन प्लाजा, मेक–डोनाल्ड कैफे के पास, अलवर बाईपास भिवाडी–301019 (बाकीदार)
2. पंकज गुप्ता पुत्र विजय कुमार फ्लैट न0 फ–जी–1 कोनार्क ओएसिस, अलवर बाईपास भिवाडी–301019 (पार्टनर)
3. श्रीमति अन्तिमा गुप्ता पत्नी पंकज गुप्ता फ्लैट न0 फ–जी–1 कोनार्क ओएसिस, अलवर बाईपास भिवाडी–301019 (पार्टनर)

4- विजय कुमार पुत्र गणेशी लाल फ्लैट न0 फ–जी–1 कोनार्क ओएसिस, अलवर बाईपास भिवाडी–301019 (पार्टनर)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा भिवाडी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 30.04.2019 को 32/– लाख रूपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में अप्रार्थी/जमानतदारो द्वारा प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का समस्त भाग व हिस्से दुकान न0 4, भू0 तल, ऑगन प्लाजा, गांव सैदपुर अलवर बाईपास रोड भिवाडी tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व विजय कुमार गुप्ता (सुपर बिल्ट–अप एरिया 290 वर्ग फिट व भूमि के हिस्से में अविभाजित हिस्सेदारी को) प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 03.12.2024 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति का समस्त भाग व हिस्से दुकान न0 4, भू0 तल, ऑगन प्लाजा, गांव सैदपुर अलवर बाईपास रोड भिवाडी tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व विजय कुमार गुप्ता (सुपर बिल्ट–अप एरिया 290 वर्ग फिट व भूमि के हिस्से में अविभाजित हिस्सेदारी को), का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 03.12.2024 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि दिनांक 30.11.2024 तक के कुल बकाया 20,70,564.87/– रूपये (बीस लाख सत्तर हजार पॉच सौ चौसठ रूपयें सत्यासी पैसे मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित

नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति समस्त भाग व हिस्से दुकान न0 4, भू0 तल, ऑगन प्लाजा, गांव सैदपुर अलवर बाईपास रोड भिवाडी tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व विजय कुमार गुप्ता (सुपर बिल्ट–अप एरिया 290 वर्ग फिट व भूमि के हिस्से में अविभाजित हिस्सेदारी को), का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति समस्त भाग व हिस्से दुकान न0 4, भू0 तल, ऑगन प्लाजा, गांव सैदपुर अलवर बाईपास रोड भिवाडी tehsil tapukada distt. Kherthaal- tijara (rajasthan) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व विजय कुमार गुप्ता (सुपर बिल्ट–अप एरिया 290 वर्ग फिट व भूमि के हिस्से में अविभाजित हिस्सेदारी को) को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा